

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ.951 (19) (41)परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2022 -23/210

दिनांक:- 21-02-2023

:-अधिसूचना:-

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)(41)परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/सुविधा/623 दिनांक 07.04.2022 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य/जनप्रतिनिधियों को मानदेय एवं बैठक भत्तों की दरों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दि. 10.02.2023 की बजट घोषणा के विन्दु सं. 162 के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

मानदेय की दरें:-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रु. प्रतिगाह	संशोधित मानदेय दर रु. प्रतिगाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	12,000/-	13800/-
प्रधान, पंचायत समिति	8400/-	9660/-
सरपंच, ग्राम पंचायत	4800/-	5520

बैठक भत्तों की दरें:-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय राशि दर रु.	संशोधित बैठक भत्ता की दर रु.
1.	2.	3.
सदस्य, जिला परिषद	600/-	690/-
सदस्य, पंचायत समिति	420/-	483/-
सदस्य, ग्राम पंचायत	240/-	276/-

जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई डी. संख्या 332300155 दिनांक 17.02.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2023 से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(अभय कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:-एफ.951 (19) (41)परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2022 -23/210

दिनांक:- 21-02-23

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।